



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 21, शक 1946

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्र.-एफ-50-8-2015-बीस-3.- माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा की धारा-4 की विभिन्न उप धाराओं के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को 03 वर्ष के लिये, सदस्य, नामांकित किया जाता है :-

क्र.	श्रेणी	नामांकित व्यक्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
01	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/ प्रधान अध्यापक जिनमें से एक महिला होगी.	(1) श्रीमती प्रभा मिश्रा (सामान्य), प्राचार्य, एम.एल.बी. कन्या उमावि जबलपुर. (2) श्री मनोज गुप्ता (सामान्य), स.वि.म. भरतगढ़, दतिया (3) श्री मुकेश पाटिल (पि.वर्ग), प्राचार्य, स.वि.मं. सेंधवा, जिला बड़वानी
02	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें से कम से कम एक दतिया महिला होगी.	(1) श्री गोविन्द कारपेंटर (पि.वर्ग), व्याख्याता, शा.कन्या उ.मा.वि. छापीहेड़ा, जिला राजगढ़. (2) श्री सौरभ उपाध्याय (सामान्य), स.वि.मं. उ.मा.वि. भाण्डेर, जिला दतिया (3) श्री शारदा मिश्रा (सामान्य), व्याख्याता, स.वि.मं.उ.मा.वि. पन्ना, जिला पन्ना (4) श्रीमती धुरपता मर्सकोले (अनु.जनजाति), व्याख्याता, शा.उत्कृष्ट उमावि खैरलांजी, जिला बालाघाट. (5) श्री संदीप ननवाना (पि.वर्ग), व्याख्याता, शा. कन्या उमावि आगर मालवा (6) श्री दीपक शर्मा (सामान्य), व्याख्याता, स.वि.मं. उमावि खाचरोद, जिला उज्जैन.

(1)	(2)	(3)
03	स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं चलाते हों.	(1) श्री प्रकाश धनगर (पि.वर्ग), स्थानीय समिति, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा, जिला उज्जैन. (2) डॉ. नीलाभ तिवारी (सामान्य), स्थानीय समिति, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्यभारत, भोपाल. (3) श्री नीरज खरे (सामान्य), स्थानीय समिति, सरस्वती शिक्षा परिषद् महाकौशल रीवा, जिला रीवा.
04	मध्यप्रदेश विधान सभा के पांच सदस्य.	(1) श्री उमाकांत शर्मा (सामान्य), विधायक, सिरोंज, जिला विदिशा (2) श्रीमती मनीषा सिंह (अनु.जनजाति-महिला), विधायक, जयसिंह नगर जिला शहडोल. (3) श्री घनश्याम चद्रवंशी (अनु.जाति), कालापीपल, जिला शाजापुर (4) डॉ. योगेश पंडागरे (अनु.जाति), विधायक, आमला, जिला बैतूल (5) श्री गौरव सिंह पारधी (पि.वर्ग), विधायक, कटंगी, जिला बालाघाट
05	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक प्राचार्य.	(1) डॉ. उमेश सिंह गौर (सामान्य), शिक्षा महाविद्यालय-प्राचार्य, शारदा विहार शिक्षा कॉलेज, भोपाल.
06	ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो.	(1) डॉ. रामकुमार भावसार (पि.वर्ग), निवासी-35 शरदा विहार परिसर केरवां डेम रोड, भोपाल. (2) श्रीमती भारती ठाकुर, निवासी-संजय वार्ड, नरसिंहपुर

2. उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओ.एल. मण्डलोई, उपसचिव.